न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2022/192 **दायरा दिनांक : 20.10.2022**

उनवान

रामगोपाल पुत्र श्री छीतरलाल आयु 72 वर्ष जाति धाकड निवासी सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)

.... अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री कमलदीप सिंह हाडा अभिभाषक अपीलांट की ओर से
पैरोकार सरकार श्री ललित नागर, नायब तहसीलदार रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 18.12.2024**

ये अपील उपखण्ड अधिकारी मांगरोल के प्रकरण संख्या – 120/2010 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 92ए, 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां में खसरा नं. 4535 रकबा 0.80 हेक्टर आराजी स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2017 से वादी का वाद खारिज कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर वादी अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून होने से काबिल निरस्तनीय हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो, साक्ष्यो एंव दस्तावेजात का कानून के अनुसार विवेचन नही करने में भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व केम्प सीसवाली दिनांक 08.06.2017 को बिना पक्षकार को सुने मात्र मुकदमा फैसल करने के आशय से प्रकरण का निस्तारण कर दिया जो कानूनन गलत है।

अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया है कि अपीलान्ट सम्वत् 2050 से अपने कब्जे काश्त खसरा नं0 4535 रकबा 0.80 हैक्टर पर ओपन एण्ड होस्टाईल रूप से काबिज काश्त है तथा यह तथ्य तहसीलदार मांगरोल के पत्र क्रमांक/भू अभिलेख/2017/केम्प सीसवाली/39 दिनांक 08.06.2017 में भी कब्जा काश्त अपीलान्ट का बताया है तथा उक्त कब्जे काश्त की स्थिति के आधार पर तहसीलदार मांगरोल ने अपनी रिपोर्ट में आराजी नियमन करने की अनुशंसा भी की है। बावजूद इसके अपीलान्ट/वादी का दावा अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलान्ट को सुनवाई का मौका दिये खारिज फरमा दिया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अपीलान्ट/वादी एक बुजुर्ग व्यक्ति है तथा हार्ट पेसेन्ट है, काफी लम्बे

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

समय से बीमार चल रहा है, इस कारण वह अपने वकील साहब से सम्पर्क नही कर पाया था। बीच में दो वर्ष कोरोना काल के कारण एवं अपनी बीमारी के कारण उसे अपना दावा खारिज होने की जानकारी नही थी। वकील साहब से 15 दिन पूर्व मिलने पर अपीलान्ट को वाद खारिज होने की जानकारी हुई जिसपर अपीलान्ट ने नकल हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया एवं दिनांक 29.08.2022 को नकल प्राप्त हुई। नकल प्राप्ति होने की दिनांक से अपील अवधिमध्य प्रस्तुत की जा रही है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाकर निर्णय व डिक्री दिनांक 08.06.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल प्रकरण संख्या 120/2010 बउनवान रामगोपाल बनाम राजस्थान सरकार दावा अंतर्गत धारा 92 (ए), 88, 89 एवं 188 आर.टी. एक्ट निरस्त फरमाया जावें तथा अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जावें कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर तथा तहसीलदार मांगरोल की नियमन अनुशंसा को ध्यान में रखते हुये अपीलान्ट को वादग्रस्त भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जावें।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 29.08.2022 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेंट की ओर से पेरोकार सरकार की उभयपक्षीय बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि घोषणा का दावा था कैम्प कोर्ट में बिना हमे सुने ही दावा निर्णित किया गया। पटवारी की रिपोर्ट पर हमें सुना नहीं गया और राजस्व कैम्प में निर्णय किया गया। अतः पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु पत्रावली रिमाण्ड की जावे।

रेस्पोडेंट की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा लिखित बहस पेश कर कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 08.06.2017 को यह निर्णय किया गया है कि सिवायचक भूमि के आवंटन के नियम बने हुए है जिनके तहत् भूमि आवंटन/नियमन की जाती है। सिवायचक भूमि पर घोषणात्मक दावे से खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है। प्रार्थी को पाबन्द किया जाता है कि वह अपना प्रकरण नियमन कमेटी के समक्ष वास्ते आवंटन/नियमन रखे। दावा आगे चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया गया। तहसीलदार मांगरोल की रिपोर्ट के अनुसार व पत्रावली के अवलोकन पश्चात् जिसमें तहसीलदार मांगरोल द्वारा यह लिखा गया है कि खसरा नं. 4535 रकबा 0.80 है० पर वादी का संवत् 2050 से अतिक्रमण कर कब्जा पाया जाता है। एल.आर.एक्ट 1956 एवं उपनिवेशन अधिनियम 1954 के तहत् बने नियमों में सिर्फ आवंटन कमेटी ही कब्जे के आधार पर नियमन कर सकती है। अपीलांट वादी तत्समय यदि खसरा नं. उद्घोषणा में आता है तो आवंटन कमेटी के समक्ष अन्य आवेदकों की भांति नियमानुसार अनुतोष प्राप्त कर सकता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः वादी अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज होने योग्य है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हमने अपीलांट के लायक अधिवक्ता द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की उभयपक्षीय बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांट वादी ने अंतर्गत धारा 92(ए), 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी ग्राम सीसवाली की खसरा नं. 4535 रकबा 0.80 हैक्टर पर काबिज काश्त है। खसरा नं. 4535 का सेटलमेंट से पूर्व खसरा, नं. 2807 था, जिसका रकबा 65 बीघा किस्म बंजड रिकार्ड में दर्ज रही है। इस रकबे में से मात्र 5 बीघा आराजी पर ही वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है, जिसके हाल खसरा नं. 4535 रकबा 0.80 हैक्टर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। अतः वादी को खसरा नं 4535 रकबा 0.80 हैक्टर पर कब्जेकाश्त के आधार पर खातेदार घोषित किया जाए।

अधीनस्थ न्यायालय अपने निर्णय दिनांक 08.06.2017 से वादी अपीलांट का वाद खारिज कर इस आशय का निर्णय पारित किया कि तहसीलदार मांगरोल के अनुसार उक्त आराजी सिवायचक खाता सरकार में दर्ज है। जिस पर वादी द्वारा संवत 2050 से बतौर अतिक्रमी कब्जा काश्त की जाती है। चूंकि सिवायचक भूमि के आवंटन के नियम बने हुए है जिनके तहत भूमि आवंटन नियमन की जाती है। सिवायचक भूमि पर घोषणात्मक दावे से खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। प्रार्थी को पाबंद किया जाता है कि वो अपना प्रकरण आवंटन/नियमन कमेटी के समक्ष वास्ते आवंटन/नियमन रखे। दावा आगे चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय विधिसम्मत होने से हम अपील के इस स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दि 08.06.2017 में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते। अपीलांट अपने कब्जे काश्त के आधार पर विवादग्रस्त आराजी को आवंटन/नियमन कराने हेतु सक्षम स्तर पर कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.06.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18/12/2024

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

रामगोपाल पुत्र श्री छीतरलाल आयु 72 वर्ष जाति धाकड निवासी सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)

.... **अपीलांट**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

.... **रेस्पोडेंट**

अपील नं **2022/192** एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल**

मु.द.नं0 **120/2010** निर्णय व डिक्री दिनांक – **08.06.2017**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **20 माह 11** सन् **2024**

श्री **कमलदीप सिंह हाडा** अभिभाषक अपीलांट की ओर से, पैरोकार सरकार **श्री ललित नागर,** नायब तहसीलदार रेस्पोडेंट की ओर से

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 08.06.2017 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **18 माह 12 सन् 2024** को जारी किया गया ।

मोहर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)